

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

पत्रांक: ओ.यू./135/2018

दिनांक १५-04-2018

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधिकतर अध्ययन केन्द्रों द्वारा परामर्श देयक अत्यधिक बिलम्ब से भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जाते हैं जिससे देयकों के परीक्षण/भुगतान में असुविधाएं होती हैं। अतः विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/प्राचार्यों/निदेशकों से अपेक्षा है कि परामर्श सत्र की समाप्ति के 03 माह के अन्दर निम्न निर्धारित कैलेंडर के अनुसार परामर्श देयक भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें अन्यथा बिलम्ब से प्राप्त परामर्श देयकों के भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा।

परामर्श सत्र संचालन हेतु प्रस्तावित माह निम्नानुसार है-

जुलाई सत्र		जनवरी सत्र	
सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली	सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली
अक्टूबर-नवम्बर	मार्च-अप्रैल	मार्च-अप्रैल	अक्टूबर-नवम्बर

उक्त व्यवस्था सूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी रहेगी।

१०/-

प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

पृ. संख्या: ओ.यू./135/2018

तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विद्याशाखा/विभाग/अनुभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. परामर्श प्रकोष्ठ, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. श्री शहबाज अहमद, टेक्निकल ऑफिसर (वेबसाइट डेवलपर) को वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव